

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/173

दिनांक 05/4/19

—: परिपत्र :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित चिकित्सक जो कि पूर्व से राज्य सेवा में तदर्थ/संविदा/यू.टी.बी. चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, में से जिन चिकित्सको का राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से नियमित चयन पश्चात् परीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर निदेशालय द्वारा चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत नहीं कराये जाने के कारण चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तथा डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है, उनके संबंध में नियंत्रण अधिकारी अवगत कराने का श्रम करावें, कि उक्त चिकित्सको द्वारा नियमित सेवा में चयन से पूर्व सेवा का वेतन लेने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं ? ताकि इन चिकित्सको का नाम डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किया जा सके।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/173

दिनांक 05/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ईएसआई/एमएसयू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर